न्यायालय जिला कलक्टर अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/06/2025	2025/181	03.06.2025	25.08.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर राज०।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमति लक्ष्मीबाई पत्नि श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
2. मनजीत सिंह पुत्र श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
3. मलकीत सिंह पुत्र श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
4. सुरजीत सिंह पुत्र श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
5. हरजीत सिंह पुत्र श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
6. गुरमीत कौर पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0।
7. पारोबाई पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
8. राजरानी पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
9. स्वर्ण कौर पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
10. हरजीत कौर पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 बाबत निरस्त किये जाने आवंटन आदेश।

उपस्थितः—
01—श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक —वकील प्रार्थी
02— अप्रार्थी अनुपस्थित।

—:निर्णय:—

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी हाल खसरा न0 10 रकबा 0.08 है0 किस्म चाही प्रथम भूमि

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा न0 10 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 की जमाबंदी संवत 2076–79 लक्ष्मीबाई पत्नि श्री बागसिंह, मनजीत सिंह, मलकीत सिंह, सुरजीत सिंह, हरजीत सिंह, पुत्र श्री बागसिंह, गुरमीत कौर, पारोबाई, राजरानी, स्वर्ण कौर, हरजीत कौर व पुत्री श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित आराजीयात अप्रार्थीगण के पिताजी व पति श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर को आवंटित हुई थी। अप्रार्थीगण अपने सामाजिक दायित्व व हिन्दु धर्म मे व्याप्त रीतियों को ध्यान मे रखते हुए उपरोक्त आराजी को शमशान घाट के लिए ही छोडना चाहते है तथा अपने नाम से नही रखना चाहते हैं जिस हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपना अपना सहमति का हल्फनामा भी निस्पादित किया गया है जो संलग्न पत्रावली है। मौके पर उपरोक्त आवंटन शुदा आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही है तथा मौके पर उपरोक्त आराजी पर काफी अर्सा से शमशान घाट बना हुआ है तथा आराजी के चारो तरफ बाउंड्रीवाल बनी हुई है तथा टीनशेड, बरामदा, पानी की टंकी बनी हुई है तथा बोरिंग भी हो रही है। उक्त आराजी को गांव के समस्त निवासीयान द्वारा शमशान घाट के रूप में काम लिया जा रहा है जिस बाबत प्रशासक ग्राम पंचायत मिलकपुर पंचायत समिति रामगढ अलवर राज0, सरपंच ग्राम पंचायत मिलकपुर व श्री बलविंदरसिंह पंचायत समिति सदस्य वार्ड न. 21 पंचायत समिति रामगढ व आई. एल. आर. /पटवारी हल्का मिलकपुर द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अतः न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता व पति श्री बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर को आवंटित की गई आराजी खसरा न. हाल 10 निवासी रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ मे अप्रार्थीगण के नाम आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जा कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे शमशान दर्ज किये जाने के आदेश सादिर फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज कर पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यो का अध्ययन किया गया। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2076–2079 मे आराजी खसरा न. 1089 रकबा 0. 08 है0 अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है जो अप्रार्थीगण के पिता व पति बागसिंह जाति रायसिक्ख निवासी मिलकपुर को आवंटित की गई थी परन्तु वर्तमान मे उपरोक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही हो कर मौके पर शमशान घाट बना हुआ है जिसके चारो तरफ बाउण्डरीवाल, टीनशेड, पानी की टंकी एवं बोरिंग इत्यादि बनी हुई है। उक्त विवादित आराजी के संबंध मे समस्त अप्रार्थीगण ने लिखित सहमति पत्र 100 रू के स्टाम्प पर इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आराजी खसरा न. 1089 रकबा 0.08 हमारी गैर खातेदारी मे दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त विवादित आराजी पर शमशान घाट हिन्दु धर्म का बना हुआ है। यदि हम अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी की आराजी को यदि शमशान घाट के नाम अथवा सिवायचक (सरकारी) दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ती नही है। उक्त कार्य से हम पूर्णतः सहमत हैं।

अप्रार्थीगण की सहमति एवं ग्राम पंचायत मिलकपुर की सहमति के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा न. 1089 रकबा 0.08 वाके ग्राम मिलकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर अप्रार्थीगण को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी को आवंटन से पूर्व की स्थिति दर्ज कर नियमानुसार शमशान घाट के आवंटन के प्रस्ताव पृथक से तैयार कर नियमानुसार आवंटन कराया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ आर्तिका शुक्ला)
जिला कलेक्टर अलवर, (राज0)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)